न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –67/2019 (Bank Case)

सिंडीकेंट बैंक, शाखा कोटा

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. पवन कुमार नितिन कुमार जैन (ऋणी व बंधककर्ता)
   पता– दुकान नं0 14, गॉधी चौक, पुरानी धान मंडी, कोटा 324006
2. पवन कुमार जैन कोटा (राज0) (ऋणी व बंधककर्ता)
   पता– 167, पीएचईडी कॉलोनी के पास, दादाबाडी, कोटा–324009
3. अशोक कुमार जैन (सह ऋणी)
   पता– 167, पीएचईडी कॉलोनी के पास, दादाबाडी, कोटा–324009

–अप्रार्थीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 **(The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)**

उपस्थित

1. श्री अमर सिंह नरूका, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 12.06.2019

प्रार्थी सिंडीकेंट बैंक, शाखा कोटा से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 31.05.2017 को रू0 50.00,000/– (अक्षरेः रूपय पचास लाख, मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति रहवासी सम्पत्ति प्लॉट नं0 167 सम्पूर्ण मकान का एक भाग उत्तरी–पूर्वी दिशा वाला जिसका नक्शे में "सी" से पीले रंग की रेखाओं से अंकित किया है, जिसका मालिक पवन कुमार है । जिसका विभाजन पत्र उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 29.6.2005 से पंजीयन किया हुआ है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 13.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 58,44,104/– रूपये (अक्षरे रूपये अठ्ठावन लाख, चंवालिस हजार, एक सौ चार मात्र) बकाया रकम दिनांक 01.11.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 17.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त

जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 17.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** बावजूद ऋणी राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण,को दिनांक 17.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । **अचल सम्पत्ति**

रहवासी सम्पत्ति प्लॉट नं0 167 सम्पूर्ण मकान का एक भाग उत्तरी–पूर्वी दिशा वाला जिसका नक्शे में "सी" से पीले रंग की रेखाओं से अंकित किया है, जिसका मालिक पवन कुमार है । जिसका विभाजन पत्र उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 29.6.2005 से पंजीयन किया हुआ है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (राजस्थान)

Scanned by CamScanner